

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 46/15

निर्णय दिनांक | 6-11-12

श्रवणकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति पारिक निवासी ग्राम पूलासर तहसील
सरदारशहर जिला चूरु।

-अपीलांट

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04.09.1997
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थित:

1. श्री महेन्द्र कल्ला, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 04-09-1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 11 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 43/25 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किया

गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि पहले जमा कराने को तैयार रहा है तथा आज भी है। अपीलांट को आवंटित भूमि आज भी रकबाराज है तथा आवंटन कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आदेश जारी किया जावे। पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04-09-1997 के विरुद्ध अपील दिनांक 12-05-15 को पेश की है। जो करीब 18 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने चक नम्बर 11 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 43/25 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा द्वारा

अपीलांट को क्रमांक 46 दिनांक 27-5-1996 व तत्पश्चात् क्रमांक 3856 दिनांक 06-07-1993 को रजिस्टर्ड नोटिस इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 28-8-1997 को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित हों ताकि सबूतों की जाँच की जाकर निलामी द्वारा भूमि आवंटन कर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आवंटन आदेश जारी किया जा सके।

(2) अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तों की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सहायक समिति की राय से खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 04-09-1997 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर